

To,
The Cheif Conservator of Forests
Bharatpur

विषय :- Diversion of 4.2703 ha. Forest Land for construction of Bituminous Road from Some ka Gurja road km 16/00 to Indora village. District - Dholpur under Rajasthan Road Sector Modernization Project funded by World Bank. (FFP/RJ/ROAD/16024/2015)

प्रसंग :- आपका पत्र कर्मांक एफसीए/तकनीकी/उर्वस/1362 दिनांक 14.03.2019

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र द्वारा लगाए गए आक्षेप की पूर्ति निम्नानुसार कर दी गई है :-

क्र.सं.	अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण	अनुपालना
01	प्रस्ताव के पार्ट I विन्दु संख्या B-1 में 9 प्रस्तावों में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होना अंकित किया गया है, किन्तु आज दिनांक तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं होने का कारण अंकित नहीं किया गया है। साथ ही आप द्वारा अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर को ईडीएस रिपोर्ट में उक्त 9 प्रस्तावों के सम्बन्ध में लिखा है कि यह प्रस्ताव धौलपुर वनमण्डल से सम्बन्धित नहीं है, फिर किस कारण से उक्त प्रस्तावों को पार्ट I के विन्दु संख्या B-1 में दर्ज किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट I के विन्दु संख्या बी-1 में दर्ज 9 प्रस्तावों के संबंध में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक 3056 दिनांक 22.3.2019 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त 9 प्रस्ताव वनमण्डल धौलपुर / संभाग भरतपुर से सम्बन्धित नहीं हैं। उक्त प्रस्ताव यूजर ऐजेन्सी द्वारा भलवश / सहवन से ऑनलाइन प्रस्ताव में दर्ज हो गये हैं जिन्हें यूजर ऐजेन्सी स्तर से हटाय़ा (Remove) जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त कॉलम में अंकित सूचना को शून्य समझा जावे।
02	उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा अपने अभिशेषा पत्र में यूजर ऐजेन्सी द्वारा किये गये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु भारी पी.सी.ए. की सिफारिश नहीं की गयी है व न ही मांग पत्र संलग्न किया गया है।	अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आलोच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु अभिशेषा पत्र में भारी पैनेल्टी सीए की सिफारिश कर दी गई है।
03	प्रस्ताव के पार्ट I में वनाधिकार दस्तावेजों में उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण दर्ज किया गया है, परन्तु उपखण्ड स्तरीय मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	उपखण्ड स्तरीय मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है व उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर दिया गया है।
04	सी.ए.एन.एफ.एल. में 1100 चौधे प्रति हैक्टेयर लगाने का प्रावधान मॉडल में है, जबकि सीए प्रस्ताव में मात्र 600 चौधे प्रति हैक्टेयर का ही प्रावधान रखा गया है। साथ ही उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा सड़क निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के कुल 6 प्रस्तावों में 13 हैक्टेयर सीए प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक प्रस्ताव हेतु पृथक-पृथक सीए लिया जाना प्रस्तावित है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित मॉडल अनुसार संशोधित कर पृथक-पृथक संलग्न कर दिया गया है।
05	उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा अपने अभिशेषा पत्र में यूजर ऐजेन्सी द्वारा किये गये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 हेतु भारी पी.सी.ए.	अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आलोच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु अभिशेषा पत्र में भारी पैनेल्टी सीए की सिफारिश

	की सिफारिश नहीं की गयी है व न ही मांग पत्र संलग्न किया गया है।	कर दी गई है।
06	उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव में भरे गये पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति की हार्ड प्रतियों में संलग्न की जानी है।	ऑनलाईन प्रस्ताव में भरे गये पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति हार्ड कापी में संलग्न कर दी गयी है।
07	प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न जी.टी. शीट सुस्पष्ट नहीं है।	जीटी शीट की नवीन प्रति हार्ड प्रति में संलग्न कर दी गई है।
08	प्रस्ताव की हार्ड प्रति में इण्डेक्सिंग में पार्ट II के दस्तावेजों को दर्ज नहीं किया गया है।	प्रस्ताव की हार्ड प्रति में इण्डेक्सिंग में पार्ट II के दस्तावेजों को दर्ज कर दिया गया है।
09	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में वनपाल नाका इन्दौरा के नोटिस 09-12 दिनांक 22.10.16 व पत्रांक 03-06 दिनांक के अनुसार यूजर एजेन्सी पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पूर्व में वर्ष 2014 में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें एफ.आई.आर. क्रमांक 3548/23 व 24 दिनांक 29.08.14 जारी की गयी थी। उक्त सड़क निर्माण के समय लगभग 800 पेड़ पौधों व झाड़ियों का दोहन हुआ है। पुनः पक्की सड़क का निर्माण वर्ष 2016 में करवाया गया है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पुनः उल्लंघन है। उक्त उल्लंघन के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. 3548/43 दिनांक 17.10.16 जारी की गयी है। पक्की सड़क निर्माण के दौरान पुनः 250 पेड़ पौधों का दोहन हुआ है। उपरोक्तानुसार प्रकरण में उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? स्पष्ट करें। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु यूजर एजेन्सी/विभाग दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से उच्च कार्यालय/राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाया जाना था, जो कि आप द्वारा न किया जाकर मुआवजा वसूल कर केस कम्पाउण्ड कर दिया गया। स्पष्ट करें क्यों? साथ ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण में भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 29.01.18 के अनुसार कार्यवाही की जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा यूजर एजेन्सी के अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर मुआवजा राशि वसूल की जा चुकी है साथ ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय दस्तावेज पूर्व में ही प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में संलग्न कर दिये गये हैं।
10	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उक्त उल्लंघन के दौरान 1050 वृक्षों का दोहन हुआ है जबकि उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा पार्ट II में पेड़ों का पातन (ट्री फैलिंग) शून्य दर्ज किया गया है।	चूंकि सड़क निर्माण कार्य पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है। इसलिए वर्तमान में वृक्षों के पातन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण पार्ट II में ट्री फैलिंग शून्य दर्ज किया गया है। साथ ही पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के दौरान हुए 1050 वृक्षों के दोहन हेतु इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर मुआवजा राशि वसूल की जा चुकी है एवं राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा पैन्ल्टी सीए लगाये जाने के सम्बन्ध में यूजर एजेन्सी द्वारा अन्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।
11	वनमण्डल, धौलपुर के सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल 6 प्रस्तावों में प्रत्यावर्तन हेतु	वनमण्डल धौलपुर के सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल 6 प्रस्तावों में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 13 है। वन भूमि

	प्रस्तावित 13 हैक्टयर वन भूमि के बदले जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा जो 13 हैक्टयर वन भूमि ग्राम गुडामुलावली में विभाग को दिया जाना प्रस्तावित है व गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त भूमि जी.टी. सीट में वनखण्ड कुदिन्ना में प्रदर्शित है अर्थात् उक्त भूमि गैर वन भूमि न होकर वन भूमि होना प्रतीत होता है। स्पष्ट करें।	के बदले जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा जो 13 है गैर वन भूमि ग्राम गुडामुलावली में वन विभाग को दिया जाना प्रस्तावित है, वह भूमि कार्यालय रिकार्ड के आधार पर गैर वन भूमि है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का प्रमाण पत्र भी संलग्न है।
12	उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव में एनपीवी गणना रियोर्ट 1.26 है, के लिये तैयार कर संलग्न किया गया है।	अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव में एनपीवी गणना रियोर्ट 4.2703 है, के लिये तैयार कर संलग्न किया गया है।

भवदीय

 (करणसिंह)
 उपवनसंरक्षक
 धौलपुर